

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवार्ये, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:ई/चि.अ./आर-2798/2024/ दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
रतनगढ जिला चूरु।

विषय: डॉ0 रोशन मीणा, चिकित्सा अधिकारी, पीएचसी, अर्जुन क्लब, सरदारशहर
के असाधारण/अवैतनिक अवकाश स्वीकृत के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक 530 दिनांक 03.08.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा डॉ0 रोशन मीणा, चिकित्सा अधिकारी,
पीएचसी, अर्जुन क्लब, सरदारशहर का दिनांक 15.05.2022 से 11.10.2022 तक
असाधारण/अवैतनिक अवकाश स्वीकृत के सम्बन्ध में प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये
है।

अतः प्रशासनिक विभाग के निर्देशानुसार डॉ0 रोशन मीणा, चिकित्सा अधिकारी,
पीएचसी, अर्जुन क्लब, सरदारशहर दिनांक 15.05.2022 से 11.10.2022 तक स्वेच्छा से
अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के नवीनतम पत्रादि अनुसार सीसीए नियम
के अन्तर्गत आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र, परिशिष्ट अ,ब,स,द व अभिलेख सूची एक-एक
प्रति में अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव निदेशालय को अविलम्ब भिजवाया जाना
सुनिश्चित करावें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 16/05/2024

क्रमांक:ई/चि.अ./आर-2798/2024/190

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये जोन बीकानेर।
3. प्रभारी राजहैल्थ पोर्टल अनुभाग, मुख्यालय।
4. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित सीबी अनुभाग, मुख्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति विभागीय बेवसाईट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल वास्ते।
6. रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
7137221

Document certified by RAVI PRAKASH
SHARMA <dydravisharma@gmail.com>

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation : Additional Director
Date :13-05-2024 05:02:25